संख्या-63 /2025/ 303 /25-27-सिं0-4/002-112(डब्ल्यू)परि0/2022 क न-1686257

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2025**

विषय: वृहद व मध्यम पम्प नहर के अन्तर्गत जनपद रायबरेली की चौधरी चरण सिंह डलमऊ "ए" पम्प नहर प्रथम सोपान पर स्थापित यॉंत्रिक एवं विद्युत उपकरणों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) कृते प्रमुख अभियन्ता (यॉंत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-215/01-22 B/वृहद व मध्यम पम्प नहरों का आधुनिकीकरण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30 जनवरी, 2025 एवं पत्र संख्या- जी-200/01-22 B/वृहद व मध्यम पम्प नहरों का आधुनिकीकरण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 03 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-294/2024/252 पी/24-27-सिं-4/001-112-डब्ल्यू-परि0-2022, दिनांक 19 जून, 2024 द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-94 लेखाशीर्षक-4700-39-051-13-00-24 के अन्तर्गत वृहद एवं मध्यम लिफ्ट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत एकमुश्त प्राविधानित धनराशि रू0 15000.00 लाख मे से प्रस्तावित धनराशि रू0 1900.00 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्ते यथावत रहेंगे।
2. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं ससमय पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **19,00,00,000 (** रुपये उन्नीस करोड़ मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4700390511300** विभिन्न लिफट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना(नाबार्ड) मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव,

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 63/2025/ 303 /25-27-सिं0-4/002-112(डब्ल्यू)परि0/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (नलकूप-मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0 ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- नोडल अधिकारी (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव,

https://shasanadesh.up.gov.in